बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / सा०बि०पा०डि०कं०लि०–19 / 2018 / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 के क्षेत्राधीन गया के बाराचट्टी प्रखंड के ग्राम–धनगई में एक अदद 33/11 के०वी० 2X5 एम०भी०ए० का शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु 7.95 करोड़ (सात करोड़ पंचानवे लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध मे।**

आदेश–स्वीकृत।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 के क्षेत्राधीन गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड के धनगई में एक अदद 33/11 के० वी० 2X5 एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसके लिए कुल अनुमानित लागत 7.95 करोड़ (सात करोड़ पंचानवे लाख) रूपये आकलित की गई है।

2. वर्तमान में बाराचट्टी एवं इसके आस–पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति शोभ शक्ति उप केन्द्र से है। प्रस्तावित शक्ति उप केंद्र के निर्माण होने से इसके आस–पास के क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी एवं विद्युत आपूर्ति के गुणवत्ता में सुधार होगी।

3. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 के क्षेत्राधीन गया के बाराचट्टी प्रखंड के ग्राम–धनगई में एक अदद 33/11 के०वी० 2X5 एम०भी०ए० का शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु 7.95 करोड़ (सात करोड़ पंचानवे लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना, विपत्र कोड– 10–4801057890102 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047– साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

6. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–19/2018 के पृष्ठ संख्या–07/टि0 पर दिनांक–17.12.2018 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–19/2018 के पृष्ठ संख्या–10/टि0 पर दिनांक–19.12.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–19/2018 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–19/2018 3182 /पटना, दिनांक–24/12/2018

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।